

फर्द अहकाग

(नियम 13)

86

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री... प्रकाश

हलका... भूक... बवालसिंह

पुत्र श्री... वीरभद्र जाति... हरीश

निवासी-... भूक... बवालसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 86/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-20	पटवारी हलका... भूक... बवालसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा... भूक... बवालसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा... 1800 वर्ग फी... किस्म भूमि... पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। पीगलीन भधिकारी शक्रीय कार्य हेतु जयपुर पंचारे के पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	50/11
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय पाहा जा दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।	50/11

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल का वरफु के उनके वकील से उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दीया जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

~~पत्रावली पेश हुई। पीठाली अधिकारी को सूचित पर विमाना पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।~~

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित। गैर साफल को जवाब हेतु मन्त्रिम अवतर दिया जाकर पत्रावली 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित। गैर साफल को बार-बार जवाब हेतु अवसर दिए जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत स्तक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर साफल को अतिउग्र मानते हुए पत्रावली फौजल सुमार है। निर्वय अलग से लिखा जाकर शगिल पत्रावली है। पत्रावली फौजल सुमार होकर दायिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर